(163)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प भोपाल म0प्र0

निगरानी-2856/2018/भोपाल/भू.रा निगरानी कं.

1. तुलसीराम,
2. रामप्रसाद,
3. दुर्गाप्रसाद,

तीनो पुत्रगण स्व0 श्री जगन्नाथ,

4. खनाराम मृतक द्वारा वारिसान
   1. जमना बाई बेवा खनाराम
   2. पोषण पुत्र खनाराम
   3. नरेन्द्र पुत्र खनाराम
   4. महेन्द्र पुत्र खनाराम चारो वयस्क,

   सभी निवासीगण-ग्राम करारिया फार्म,
   तहसील हुजूर, जिला भोपाल
5. श्रीमती ज्ञानवती पुत्री खनाराम
   पत्नि सुदेश कुमार, निवासी-ग्राम समनापुर,
   पोस्ट मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज,
   जिला रायसेन म0प्र0
6. मुन्नी बाई पुत्र खनाराम,
   पत्नि कोमल सिंह, निवासी-खुशीपुरा,
   चाँदबड़, तहसील हुजूर जिला भोपाल
7. लता बाई पुत्री खनाराम,
   पत्नि मुकेश सिंह, निवासी-ग्राम भानपुर,
   तेड़ा खम्भा प्रकाश पटेल के पीछे,
   भोपाल म0प्र0 -- निगरानीकर्तागण | प्रति अनावेदक

विरूद्ध

कली बाई उर्फ रामकली बाई,
पत्नि उमैद सिंह, निवासी-ग्राम करारिया फार्म,
तहसील हुजूर,
जिला भोपाल म0प्र0 -- प्रतिनिगरानीकर्तागण | आवे.

आवेदक अधि. श्री ... माध्यम द्वारा भोपाल कैम्प मे प्रस्तुत 25/5/18

रेखा ठाकुर क्र. 1659 सा.अ. /2014 शपथ आयुक्त, भोपाल

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

निरंतर...2

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अनुविभागीय अधिकारी गोविंदपुरा वृत्त भोपाल द्वारा दिनांक 28/03/2018 का अपील कं. 21/अपील/16-17 में कली बाई--अपीलार्थी--विरूद्ध--तुलसीराम व अन्य में पारित आदेश जिसके अनुसार उनके द्वारा प्रतिअपलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अतर्गत धारा 05 अवधि विधान अधिनियम जो कि दिनांक 30/08/2003 को पारित आदेश को प्रश्नगत् कर अपील के साथ प्रस्तुत किया गया था को समयावधि में मान्य करने के विरूद्ध निम्न वैधानिक आधारो एवं तथ्यों पर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हैः-

1. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/03/18 विधि एवं प्रकिया के विपरीत पारित होने से निरस्ती योग्य है वह निरस्त किया जाये।
2. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलखों का अवलोकन किये बिना पारित आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाये।
3. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के ~~समक्ष द्वारा~~ प्रतिअपीलार्थीगण ने तहसीलदार नजूर शहर भोपाल द्वारा अपने प्रकरण क्र. 16-ए/6/2002-03 में दिनांक 30/08/2003 को नामांतरण आदेश पारित किया था। उक्त नामांतरण आदेश माननीय तहसीलदार महोदय ने ग्राम करारिया की भूमि खसरा कं. 168, 169, 170 कुल 1.13एकड़ में से हिस्सा 1/2 एवं खसरा कं. 96/2, 196, 147, 165 कुल 2.26एकड़ में से हिस्सा 34 पैसे में से रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 13/09/99 ~~द्वारा~~ के आधार पर जो आवेदक/अपीलार्थी को उनके पिता श्री जगन्नाथ द्वारा वसीयत की गई थी, के आधार पर किया था। और उनका कब्जा चला आ रहा था

निरंतर.....3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2856/2018/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	आवेदकगण की ओर से श्री आर.एन. मालवीय, अभिभाषक एवं अनावेदक पक्ष की ओर से श्री गुलाब सिंह, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	